



सराहनीय कार्य, जालौन पुलिस
दिनांक -02.01.2025

थाना एट में पंजीकृत मु0अ0सं0- 210/23 धारा 471/468/467/420 भादवि व मु0अ0सं0 16/2024 धारा 2/3 गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण धिनियम 1986 से सम्बन्धित गैंगस्टर अतीक अहमद पुत्र मो0 उमर मकान नं0-18 निजामुद्दीन नई दिल्ली के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुये करीब 08 करोड़ रुपये की अचल अवैध सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

संक्षिप्त विवरण – दिनांक 21.12.2023 को मुखबिर की सूचना पर थाना एट पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान एट टोल प्लाजा के पास एक ट्रक कंटेनर में 21,000 किलो संदिग्ध मांस बरामद हुआ था तथा प्रपत्रों की जांच में फर्जी कूट रचित दस्तावेज एवं अवैध तरीके से परिवहन कर ले जाया जाना पाया गया था। पूछताछ के दौरान ड्राइवर द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रपत्रों में उक्त कंटेनर में फिश फूड लदा होना अंकित था उक्त प्रकरण की गहराई से छानबीन की गयी थी ड्राइवर द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रपत्र कूट रचित एवं फर्जी पाए गए। अतः उक्त वाहन को कब्जा पुलिस में लेते हुए थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 210/23 धारा 420/467/468/471 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर संदिग्ध मांस को पशु चिकित्साधिकारी द्वारा सैंपलिंग कराकर परीक्षण हेतु भेजा गया था। परीक्षण रिपोर्ट में गोमांश की पुष्टि हुयी थी। मान0 न्यायालय से गोमांश के निस्तारण की अनुमति प्राप्त कर नियमानुसार जमीन में दफन करा दिया गया था।

विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त अतीक अहमद पुत्र मो0 उमर मकान नं0-18 निजामुद्दीन नई दिल्ली मूल निवासी कस्बा सहसपुर थाना स्योहरा जनपद बिजनौर व उसके अन्य 05 साथियों के विरुद्ध थाना एट में मु0अ0सं0 16/2024 धारा 2/3 गिरोह बन्द समाज विरोधा क्रियाकलाप निवारण धिनियम 1986 पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक कोंच द्वारा की जा रही है। गैंगस्टर अतीक अहमद पुत्र मो0 उमर मकान नं0-18 निजामुद्दीन नई दिल्ली मूल निवासी कस्बा सहसपुर थाना स्योहरा जनपद बिजनौर के विरुद्ध संपत्ति जब्तीकरण की धारा 14(1) की कार्यवाही हेतु श्रीमान जनपद मजिस्ट्रेट जालौन द्वारा आदेश जारी किया गया था। अभियुक्त अतीक अहमद उपरोक्त द्वारा अपने नाम से मकान नं0 ई-18 निजामुद्दीन पश्चिमी नई दिल्ली में क्रय किया गया है। अभियुक्त का कोई रजिस्टर्ड व्यवसाय नहीं है तथा अभियुक्त के ज्ञात आय के स्रोत भी इतने नहीं है कि उसके द्वारा उक्त सम्पत्ति क्रय की जा सके, अभियुक्त द्वारा उक्त मकान अपराध से अर्जित धन से ही क्रय किया गया है। अतः अभियुक्त की अचल सम्पत्ति अनुमानित कीमत करीब 08 करोड़ रुपये की जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी है।

नोट:- थाना एट में पंजीकृत मु0अ0सं0 16/2024 धारा 2/3 गिरोह बन्द समाज विरोधा क्रियाकलाप निवारण धिनियम 1986 से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों की 01 करोड़ 25 लाख की चल/अचल अवैध सम्पत्ति दिनांक 30.08.2024 को कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही की जा चुकी है।

जब्तीकरण की गयी सम्पत्ति का विवरण-

1- 08 करोड़ (अचल सम्पत्ति मकान नं0 ई-18 निजामुद्दीन पश्चिमी नई दिल्ली)।

विवरण अभियुक्त-

1- अतीक अहमद पुत्र मो0 उमर मकान नं0-ई 18 निजामुद्दीन नई दिल्ली मूल निवासी कस्बा सहसपुर थाना स्योहरा जनपद बिजनौर।

सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही करने वाली टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कोंच मय टीम।